		अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)	
10/01/2025	आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) नरैना की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अति0 जिला कलक्टर धौलपुर	जवाब की कॉपी प्राप्त हुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अपीलान्ट द्वारा अपील में हल्का पटवारी द्वारा आपसी रंजिश रिपोर्ट करना तथा प्रिंटेड प्रारूप में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरेना द्वारा दिनांक 18.11.2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित राठौडी आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार मरैना निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन चाहा है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने/विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जबाव अपील/स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2025 एवं 09.01.2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई। जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई। नायब तहसीलदार द्वारा अपने जबाव में अतिक्रमी को पिछले सम्वत् 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चात भी पुनः सम्वत् 2081 में सरसों बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 06.11 2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 06.11. 2024 को सीमाकंन व दिनांक 12.03.2024 को सम्बत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा भी संलग्न किया है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया है।	

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम मढई तहसील राजाखेडा में खसरा नं0 272/242 रकबा 0.25 है0 किस्म चारागाह भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक 18.11.2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास से दंडित किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी खसरा नम्बर 272/242 पर पश्चातवर्ती अतिकमी था यह खसरा नम्बर संलग्न मौका पर्चा दिनांक 12.03.2024 एवं 06.11.2024 में भी अंकित है । जिसे सम्वत् 2080 में खुर्द बुर्द किया था इसके बाबजूद सम्वत् 2081 में पुनः फसल सरसों बोकर खसरा नम्बर 272/242 रकबा 0.25 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किया है । भूमि किस्म चारागाह होने से अतिक्रमी छिददा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा । जहाँ तक प्रिंटेड प्रारूप में निर्णय लिखे जाने का आरोप है उससे प्रकरण की मैरिट प्रभावित नहीं होती है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 18.11.2024 बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर(राज0)

अतिo जिला कलक्टर

आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अतिo जिला कलक्टर
धौलपुर